बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

संकल्प

पत्रांक-5/आ03-10/2016- 879 पटना, दिनांक- 13.10.17

कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, भभुआ के पत्रांक-1411 दिनांक-28.07.2016 द्वारा मो0 जुबैर, तत्कालीन सहायक अभियंता (असैनिक), लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, अधौरा संप्रति सहायक अभियंता, (असैनिक), लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, रफीगंज के विरूद्ध तत्कालीन पदस्थापन कार्यालय, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, अधौरा में नियमित रूप से नहीं रहने, दिनांक-28.07.2007 को कार्यपालक अभियंता द्वारा अधौरा जलापूर्ति योजना की जानकारी लिये जाने के क्रम में दूरभाष पर कार्यपालक अभियंता, भभुआ से अभद्र व्यवहार किये जाने तथा श्री त्रिवेणी राम, खलासी, प्रशाखा-अधौरा से गाली-गलौज किये जाने की शिकायत सरकार के संज्ञान में आया।

उक्त आरोपों के आलोक में जांचोपरांत समीक्षा के क्रम में यह पाया गया है कि मो0 जुबैर के विरूद्ध लगाये गये आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित होते हैं तथा सरकारी सेवक के रूप में मो0 जुबैर का आचरण प्रतिकूल है। फलतः उनके विरूद्ध आरोप प्रपत्र 'क' में आरोप गठित किया गया।

(2) मो0 जुबैर, तत्कालीन सहायक अभियंता (असैनिक), लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, अधौरा संप्रति सहायक अभियंता, (असैनिक), लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, रफीगंज से विभागीय पत्रांक-500 दिनांक-25.07.2017 द्वारा उनके विरूद्ध गठित आरोप प्रपत्र 'क' के आलोक में स्पष्टीकरण की मांग की गयी। मो0 जुबैर, सहायक अभियंता द्वारा पत्रांक-284 दिनांक-05.08.2017 द्वारा अपना स्पष्टीकरण विभाग को समर्पित किया गया। मो0 जुबैर के विरूद्ध गठित आरोप प्रपत्र 'क' एवं उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की गई एवं मो0 जुबैर के विरूद्ध उक्त आरोप प्रथमदृष्टया प्रमाणित पाये जाने के उपरान्त उनके विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17 के अधीन विभागीय कार्यवाही संस्थित करने का निर्णय लिया गया।

(3) वर्णित परिप्रेक्ष्य में मो0 जुबैर के विरूद्ध अभिकथित आरोपों के लिए बिहार राज्यपाल यह आदेश देते है कि मो0 जुबैर, तत्कालीन सहायक अभियंता (असैनिक), लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, अधौरा संप्रति सहायक अभियंता, (असैनिक), लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, रफीगंज के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17 के अधीन विभागीय कार्यवाही संस्थित की जाय। एतदर्थ बिहार राज्यपाल विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री डी0पी0 सिंह, अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को जांच संचालन पदाधिकारी एवं श्री मादुल्लाह जावेद, अधीक्षण अभियंता, रूपांकण एवं योजना अंचल-4 को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त करते है।

(4) आरोपित मो0 जुबैर, संकल्प प्राप्ति की तिथि से 10 दिवसों के भीतर उस तिथि एवं उस समय पर, जो जांच संचालन पदाधिकारी इस निमित्त लिखित नोटिस द्वारा विनिर्दिष्ट करें अथवा उनके द्वारा यथा विनिर्दिष्ट उस अतिरिक्त 10 दिनों से अनधिक, उनके

समक्ष उपस्थित होंगे तथा अनुबंध में विनिर्दिष्ट आरोपों के संबंध अपना लिखित बचाव बयान समर्पित करेंगे।

(5) जांच संचालन पदाधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17 में विहित प्रावधानों के अनुसार जांच कार्य संपन्न करेंगे तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर जांच प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे।

(6) आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति आरोप प्रपत्र 'क' के साथ मो0 जुबैर, तत्कालीन सहायक अभियंता (असैनिक), लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, अधौरा संप्रति सहायक अभियंता, (असैनिक), लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, रफीगंज, जांच संचालन पदाधिकारी, श्री डी0पी0 सिंह, अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, श्री सादुल्लाह जावेद, अधीक्षण अभियंता, रूपांकण एवं योजना अंचल-4 को दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

13/10/17

(शशिकांत तिवारी)

अपर सचिव

ज्ञापांक-5/आ03-10/2016- 879 पटना, दिनांक- 13.10.17

प्रतिलिपि:- आरोप पत्र की प्रति के साथ जांच संचालन पदाधिकारी श्री डी0पी0 सिंह, अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना /प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी श्री सादुल्लाह जावेद, अधीक्षण अभियंता, रूपांकण एवं योजना अंचल-4 को / मो0 जुबैर, तत्कालीन सहायक अभियंता (असैनिक), लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, अधौरा संप्रति सहायक अभियंता, (असैनिक), लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, रफीगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/10/17

(शशिकांत तिवारी)

अपर सचिव।

ज्ञापांक-5/आ03-10/2016- 879 पटना, दिनांक- 13.10.17

प्रतिलिपि:- सचिव के आप्त सचिव/उप सचिव/सभी मुख्य अभियंता (क्षेत्रीय सहित)/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी तथा प्रशाखा पदाधिकारी-1/आई0टी0 मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/10/17

(शशिकांत तिवारी)

अपर सचिव।

13/X/17